संख्या– 2546 / 79–5–2011–424 / 02टी.सी.– II

प्रेषक,

अनिल संत,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद,
लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ: दिनांक: 03 अक्टूबर, 2011

विषय:–सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों एवं ब्लाक संसाधन केंद्रों के पुनर्गठन संबंधी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–3903 / 79–5–10–424 / 02टी0सी0 दिनांक 02–2–2011 एवं अपने पत्र सं0–गु0वि0 / संसाधन केंद्र पुनर्गठन / 1785 / 2011–12 दिनांक 25–7–2011 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत उक्त शासनादेश दिनांक 02–2–2011 के प्रस्तर–7(2) में प्राविधानित व्यवस्था "बी0आर0सी0 / यू0आर0सी0 सह–समन्वयकों के पद पर चयन हेतु प्राथमिक / पूर्व मा0वि0 में शिक्षण का कम से कम 08 वर्ष का अनुभव" के स्थान पर **"ब्लाक / नगर संसाधन केंद्र सह समन्वयक पद पर चयन के संदर्भ में अभ्यर्थी का परिषदीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव अनिवार्य रूप से होना चाहिए"** पढ़ा जाये।

3– उक्त सीमा तक उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 02–2–2011 संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(अनिल संत)
सचिव।

Rh. B. Singh

APD
4/10/11

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
6. समस्त डायट प्राचार्य / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रराज सिंह)
अनु सचिव।

R.K.Letter-HP